वाद नि. 9.3.....।।......।।(का पृष्ठ

05/11/24 आज यह पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी पेश की गई। वादी के वकील उपस्थित है। वादी के वकील द्वारा प्रतिवादी न० 04 ता० 47 की तलबी हेतु समय चाहा गया। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी के वकील द्वारा दिनांक 21/3/2012 को दावा प्रस्तुत किया गया। वाद-पत्र कार्यालय की रिपोर्ट होकर दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आदेश कर तलबी हेतु दिनांक 18/4/2012 नियत की गई। दिनांक 26/4/12 को दिनांक 02/7/12 हेतु सम्मन बनाम प्रतिवादी न० 01, 02, 03, को जारी किये गये। प्रतिवादी न० 01, 02, 03, की के अलावा अन्य सम्मन अदम तामील वापिस प्राप्त हुए। उक्त तिथि से आज दिनांक तक वादी की ओर से प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश नही किये गये। दिनांक 21/11/20, 10/3/21, 28/7/22,

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़) राज०

12/10/22, 15/11/22, 04/04/23, 23/8/23, 13.02.24, 13/8/24 को न्यायहित में तलबी हेतु अंतिम अवसर दिये गये किन्तु वादी द्वारा प्रतिवादी न० 04 ल० 47 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश नहीं किये गये। वादी की वाद गत रूचि नहीं होने प्रकट होता है। साथ ही 12 वर्ष से लगातार न्यायालय का समय खराब हुआ है। वादी का वाद-पत्र आदेश 9 नियम 5 जाब्ता दीवानी की परिधि में आता है। जिस सूरत में वादी का यह वाद पत्र 09 R 5 CPC के अन्तर्गत अदम पैरवी के कारण खारिज किया जाता है। आदेश सुनने पर वादी के वकील द्वारा अभी कथन किया है कि मेरी तो सभी फाईलें ऐसी ही चली आयी है। पहली बार 09 R 5 CPC में खारिज करने की हिम्मत करी है। आपको मैं देख लूंगा। सभी न्यायालय भ्रष्ट है। कैसे काम करते हैं मुझे पता है। मुझे 35 वर्ष हो गये वकालत करते हुए। आपका ट्रांसफर भी करवा सकता हूँ। आपका राजनीतिक पहुंच है। ये तो राजनेता ही भ्रष्ट है। चुंकि पत्रावली आदेश लिख कर सुना दिया गया है। पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़) राज०